न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2020 (रे.अ.) (GCMS 2020/00325)	10.09.2020	27.10.2021

अनवान

शैतानसिंह पिता जसवंतसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बडी का खेडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उप–तहसीलदार बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोर्डेट

उपस्थिति :– दिनेश दायमा — अधिवक्ता अपीलांट
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — अधिवक्ता रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार साहब बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ बमामले प्रकरण संख्या 74/2019 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 28.11.2019 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोर्डेट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय न्याय एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। पटवारी हल्का अभयपुर द्वारा कायम किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2019 के आधार पर ग्राम मौजा अभयपुर की आराजी संख्या 369/325 रकबा कुलिया रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चरागाह आरक्षित में से 0.05 हैक्टर पर अतिक्रमण का दोषी मानकर उप–तहसीलदार बस्सी को रिपोर्ट उसी दिनांक को प्रेषित की। प्रार्थी अपीलार्थी शैतानसिंह ने 0.02 हैक्टर में दुकाने व 0.03 हैक्टर पर पडत रूप में अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 18.11.2019 को प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को 91(3) एलआर एक्ट के तहत सूचनापत्र जारी कर दिनांक 28.11.2019 को पंचायत मुख्यालय अभयपुर पर उपस्थित होने के आदेश पारित किया। साथ ही बिना किसी सुनवाई के अपीलार्थी के उपस्थिति के हस्ताक्षर

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

आदेश संचित पर लेकर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली लगान का 50 गुना शास्ति अधिरोपित करके उसकी वसूली का आदेश पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का अभयपुर ने जानबूझकर राजनैतिक दबाव में पर्चा मौका कायम कर रिपोर्ट देकर प्रकरण दर्ज करवाया है, क्योंकि ग्राम अभयपुर की आधी आबादी आरक्षित आबादी भूमि में बसा हुआ है तथा आधी आबादी की बसावट आरक्षित चरनोट भूमि में बसी हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी के अलावा आधा गांव चरनोट भूमि में मकान बनाकर वर्षो से निवास करता चला आ रहा है। अन्य ग्राम वारिसान के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं करके केवल द्वैषतावश अकेले अपीलार्थी को अतिक्रमण का दोषी कायम करके बेदखली का आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम सुनवाई दिवस दिनांक 28.11.2019 को बेदखली का आदेश पारित छाप लगाकर कर दिया। अपीलार्थी को अपने बचाव में जवाब साक्ष्य प्रस्तुती का भी अवसर नहीं देकर नेचुरल जस्टिस का स्पष्टतः उल्लघंन किया है। उक्त आदेश वैधानिक की श्रेणी में नहीं होने से प्रथम दृष्टवा ही निरस्तनीय है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तु रिपोर्ट ही अवैधानिक है, क्योंकि रिपोर्ट की कलम संख्या 7 में अपीलार्थी का अतिक्रमण 0.03 हैक्टर भूमि में पडत भूमि पर अतिक्रमण किस स्वरूप में खाली पडत भूमि पर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। इस प्रकार खाली पडत भूमि का अतिक्रमण करना हास्यास्पद रिपोर्ट की श्रेणी में आने से उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर कार्य किया गया प्रकरण अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलार्थी के परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन उसके द्वारा पंचायत मुख्यालय पर निर्मित एवं संचालित उक्त दुकाने ही है। उक्त दुकाने की आबादी के मध्य ही निर्मित की गई है। उक्त दुकाने आबादी भूमि में ही निर्मित की गई है। क्योंकि आधा गांव की बसावट भी चरनोट भूमि पर बसा हुआ है। यदि अपीलार्थी को बेदखल किया जावे, तो अन्य ग्रामवासियान को भी बेदखल किया जावे, तभी प्राकृति न्याय हो सकेगा। अन्यथा अपीलार्थी के अकेले के विरूद्ध अन्याय माना जावेगा। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से सर्वे कराकर ग्राम अभयपुर की आराजी नंबर 369/325 किस्म चरागाह आरक्षित को आबादी भूमि में संपरिवर्तित किये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्राकृतिक न्याय प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की सर्वप्रथम पटवारी हल्का अभयपुर से दिनांक 13.02.2020 को हुई। दूसरे दिन बस्सी उप तहसील कार्यालय में नकल हेतु आवेदन पेश कर उसी दिना नकल प्राप्त कर दूसरे दिन अपील प्रस्तुत करने हेतु अपने अधिवक्ता से संपर्क किया। उनके द्वारा कोविड 19 के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं होने की सूचना दी। तत्पश्चात् लोक डाउन लगने से अपील प्रस्तुत नहीं हो सकी। दिनांक 20.08.2020 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक कार्य शुरू करने के निर्देशों के पश्चात् बिना किसी देरी के अन्दर अवधि में यह

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अपील पेश है। फिर भी अपील प्रस्तुत प्रस्तुत में हुई देरी को कण्डोन करके अपील अन्दर अवधिक में शुमार मानी जावें। अपील प्रस्तुती में हुई देरी को कण्डोन किये जाने हेतु मयाद वृद्धि का आवेदन पत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार बस्सी के पत्रांक/राजस्व/2021/100 दिनांक 02.09.2021 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 374/2019 निर्णय दिनांक 28.11.2019 अनवानी सरकार बनाम शैतानसिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत निवासी बडी का खेडा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 27.10.2021 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया।

दिनांक 27.10.2021 को अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की सर्वप्रथम पटवारी हल्का अभयपुर से दिनांक 13.02.2020 को हुई। दूसरे दिन बस्सी उप तहसील कार्यालय में नकल हेतु आवेदन पेश कर उसी दिना नकल प्राप्त कर दूसरे दिन अपील प्रस्तुत करने हेतु अपने अधिवक्ता से संपर्क किया। उनके द्वारा कोविड 19 के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं होने की सूचना दी। तत्पश्चात् लोक डाउन लगने से अपील प्रस्तुत नहीं हो सकी। दिनांक 28.11.2019 से दिनांक 20.08.2020 तक की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने लोक डाउन होने के कारण न्यायिक कार्य बंद होने से देरी हुई है जिससे अपील प्रस्तुत में हुई समस्त देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 20.08.2020 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक कार्य शुरू करने के निर्देशों के पश्चात् बिना किसी देरी के अन्दर अवधि में यह अपील पेश है। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2019 अपीलांट की उपस्थित में न्यायालय द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पारित किया गया है। आदेशिका दिनांक 28.11.2019 पर अपीलांट की उपस्थिति अंकित है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा स्वयं इस तथ्य को बताया गया है कि अपीलांट का निर्णय दिनांक 28.11.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.02.2020 को प्राप्त हुई जिसे अपीलांट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिलिपि अपीलांट को दिनांक 14.02.2020 को प्राप्त होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 04.09.2020 को प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा राष्ट्र व्यापी लॉक-डाउन का कथन किया गया है तो इस संबंध में प्रदेश में लॉक-डाउन से पूर्व ही अपील की मियाद अवधि व्यतीत हो चुकी थी, चूंकि लॉक-डाउन मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रभावी हुआ ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलांट के विरूद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ-साथ गुणवगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता हैं, अतः प्रार्थना पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय न्याय एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। पटवारी हल्का अभयपुर द्वारा कायम किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2019 के आधार पर ग्राम मौजा अभयपुर की आराजी संख्या 369/325 रकबा कुलिया रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चरागाह आरक्षित में से 0.05 हैक्टर पर अतिक्रमण का दोषी मानकर उप-तहसीलदार बस्सी को रिपोर्ट उसी दिनांक को प्रेषित की। प्रार्थी अपीलार्थी शैतानसिंह ने 0.02 हैक्टर में दुकाने व 0.03 हैक्टर पर पडत रूप में अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 18.11.2019 को प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को 91(3) एलआर एक्ट के तहत सूचनापत्र जारी कर दिनांक 28.11.2019 को पंचायत मुख्यालय

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अभयपुर पर उपस्थित होने के आदेश पारित किया। साथ ही बिना किसी सुनवाई के अपीलार्थी के उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेश संचित पर लेकर अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली लगान का 50 गुना शास्ति अधिरोपित करके उसकी वसूली का आदेश पारित कर दिया गया। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखति है एवं अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नही है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिकमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः उप–तहसीलदार, बस्सी के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का अभयपुर ने जानबूझकर राजनैतिक दबाव में पर्चा मौका कायम कर रिपोर्ट देकर प्रकरण दर्ज करवाया है, क्योंकि ग्राम अभयपुर की आधी आबादी आरक्षित आबादी भूमि में बसा हुआ है तथा आधी आबादी की बसावट आरक्षित चरनोट भूमि में बसी हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी के अलावा आधा गांव चरनोट भूमि में मकान बनाकर वर्षो से निवास करता चला आ रहा है। अन्य ग्राम वारिसान के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं करके केवल द्वैषतावश अकेले अपीलार्थी को अतिक्रमण का दोषी कायम करके बेदखली का आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2006(1) RRT** पेज संख्या 272, **2009(2) RRT** पेज संख्या 1378 पेश किये। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का दृष्टिपात किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!ldar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :
Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :
Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर उप तहसीलदार बस्सी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलांट द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलांट इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार बस्सी से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2019 का अवलोकन किया। अपीलांट/अप्रार्थी को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.11.2019 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.11.2019 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के आवेदन क्रमांक 20 पर दिनांक 14.02.2020 को जारी की गई। ऐसी स्थिति अपीलांट को प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.02.2020 को प्राप्त होना जाहिर होता है, इसके साथ ही राजकीय

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलांट द्वारा राष्ट्र व्यापी लॉक–डाउन का कथन किया गया है तो इस संबंध में प्रदेश में लॉक–डाउन से पूर्व ही अपील की मियाद अवधि व्यतीत हो चुकी थी, चूंकि लॉक–डाउन मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रभावी हुआ। इस तथ्य से हम पूर्णतया सहमत है ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलांट प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे जिससे अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही उपरांकित विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर भी खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 019/2020 अनवानी शैतानसिंह बनाम सरकार अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार बस्सी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 374/2019 निर्णय दिनांक 28.11.2019 अनवानी सरकार बनाम शैतानसिंह को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official